PLEA – BARGAINING

A new concept

In order to reduce a heavy backlog of criminal cases in courts and to save the accused as well as victim from the cumbersome process of court, a new Chapter XXI-A has been introduced in Cr.P.C. evolving a new concept of ***Plea Bargaining.***

Plea Bargaining is a kind of a deal between the prosecution / victim and the accused by which the accused agree to plead guilty to less serious charge reduced sentence without facing long drawn procedure of trial.

Salient Features

Applicability

1- Applicable for the offences, where punishment of 7 yrs imprisonment is provided.

2- Not applicable, where victim is a women or child below 14 yrs of age or affects the socio economic condition of the country. (Offences effecting socio economic condition of the country are notified by the Central Government).

3- Not applicable to any Juvenile as defined u/s 2(k)of Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000.

4- Not applicable if accused has been convicted previously of the same offence.

Procedure

1- Application supported by an affidavit by accused showing a willing ness.

2- Application to be moved in the court where trial is pending

3- Court shall examine the accused in camera to satisfy itself about volition of accused.

4- Prosecution, investigating officer, victim, accused to sit and work out a mutual satisfactory disposition.

Advantages

1- ***Victim***

a- He will get the compensation in terms of mutual satisfactory disposition.

b- Saves him from long drawn Judicial Process.

c- Saves time and money spent in case.

2- Accused

a- If a minimum punishment is provided for the offence, he may be sentenced to half of such punishment.

b- If no such punishment is provided, he may be sentenced to one fourth of the punishment provided.

c- He may not be punished but may be released on probation or admonition.

d- He may get the benefit of period already undergone in custody.

e- No appeal lies against the judgment.

f- Admission of accused can not be used for any other purposes except for Plea Bargaining

g- Time taken in trial and money is also saved.

For any help:
Please Contact:

U.P.State Legal Services Authority
3rd Floor, Jawahar Bhawan Annexe, Lucknow

Phone No. 0522- 2286395, 2286260,2286265

Web site: upslsa.up.nic.in **e-mail:** upslsa@up.nic.in

OR

District Legal Services Authority,
Civil Court Premises
Concerned District(U.P.)

प्ली बारगेनिंग

दाण्डिक न्यायालयों में लम्बित मुकदमों की संख्या कम करने तथा अभियुक्त एवं पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय की दुरूह प्रक्रिया से बचाने के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता में अध्याय 21–ए जोड़ कर प्ली बारगेनिंग को शामिल किया गया है जो अभियोजन/पीड़ित व्यक्ति तथा अभियुक्त के मध्य समझौते का तरीका है जिसमें अभियुक्त अपने अपराध को स्वीकार कर पीड़ित व्यक्ति को हरजाना देकर न्यायालय की जटिल प्रक्रिया से बचते हुये कम सजा पा सकता है।

मुख्य विशेषतायें

उपयुक्तता

1. उन अपराधों में लागू होता है जिसमें सात वर्ष तक के कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

2. कृत अपराध किसी महिला, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, देश के सामाजिक व आर्थिक ढांचे को प्रभावित करने के विरूद्ध है तो प्ली बारगेनिंग का सिद्वान्त लागू नहीं होगा।

3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 2 (के) में परिभाषित ज्यूवेनाइल के मामले में लागू नहीं होगा।

4. यदि अभियुक्त उसी प्रकार के अपराध में पूर्व में दण्डित हो चुका हो जिस अपराध के लिये उसका विचारण हो रहा है तब भी प्ली बारगेनिंग का सिद्वान्त लागू नहीं होगा।

प्रक्रिया

1. अभियुक्त को शपथ पत्र सहित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना होगा कि वह अपनी स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

2. प्रार्थना पत्र उस न्यायालय में प्रस्तुत होगा जहॉ विचारण चल रहा है।

3. न्यायालय अभियुक्त को एकान्त में यह सुनिश्चित करने के लिये परिक्षित करेगा कि उसने स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र दिया है।

4. अभियोजन पक्ष, विवेचना अधिकारी, पीडित पक्ष तथा अभियुक्त के साथ बैठ कर आपसी समझौते का प्रत्यावेदन तैयार करेगा।

लाभ

1. **पीड़ित पक्ष**

   क. पीड़ित पक्ष को आपसी समझौते के आधार पर हर्जाना मिलता है।

   ख. जटिल व लम्बी न्यायिक प्रक्रिया से बचत होती है।

   ग. मुकदमें में होने वाले व्यय व समय की बचत होती है।

2. **अभियुक्त**

   क. यदि अपराध हेतु न्यूनतम दण्ड प्राविधानित है तो उसे उसका आधा दण्ड मिलता है।

   ख. यदि न्यूनतम दण्ड प्राविधानित नहीं है तो अधिकतम दण्ड का एक चौथाई दण्ड मिलता है।

   ग. सजा के बदले परिवीक्षा अथवा चेतावनी पर भी उसे छोड़ा जा सकता है।

   घ. जेल में बितायी अवधि का लाभ मिलता है।

   ड. इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं हो सकती है।

   च. अभियुक्त की स्वीकारोक्ति को प्ली बारगेनिंग के अतिरिक्त कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

   छ. परीक्षण में लगने वाले समय व धन की बचत होती है।

किसी भी प्रकार की सहायता हेतु कृपया सम्पर्क करें:

उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
तृतीय तल, जवाहर भवन एनेक्सी, लखनऊ

फोन नं0: 0522–2286395, 2286260, 2286265

वेब साईटः upslsa.up.nic.in
ई. मेल : upslsa@up.nic.in

अथवा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
दीवानी न्यायालय परिसर, संबंधित जनपद (उ0प्र0)